APP. A
Crim-I

FORM NO. III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

तहसीलदार मुकाम महुवा

सरकार बनाम गोविन्दा पुत्र हरिसिंह राजपूत

मुकदमा धारा 91 LR Act नं. 324 सन् 18

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
19/2/18	पटवारी हल्का की रिपोर्ट दर्ज कर अतिक्रमी को राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 का नोटिस जारी कर पत्रावली दिनांक 28/2/18 को पेश हो। (हस्ताक्षर) तहसीलदार तहसील-महवा (दौसा)	
28/2/18	पत्रावली पेश हुई आवाज लगवाई गई। अतिक्रमी उपस्थित आया है। आज श्रीमान पीठासीन अधिकारी अवकाश पर है। पत्रावली अग्रिम कार्यवाही हेतु दिनांक 08/03/18 को पेश हो। (हस्ताक्षर) तहसीलदार तहसील-महवा (दौसा)	गोविन्द हरिसिंह
08/03/2018	आज पत्रावली पेश हुई। आवाज लगवाई गई। अतिक्रमी उपस्थित रहा है। अतिक्रमी द्वारा अतिक्रमण किया जाना स्वीकार किया गया है। विस्तृत निर्णय पृथक से लिखा जाकर संलग्न पत्रावली है। अतः ग्राम रौत की अतिक्रमित भूमि से अतिक्रमी को भौतिक रूप से बेदखल किया जाता है। विस्तृत निर्णय पृथक से लिखा जाकर संलग्न पत्रावली है। (हस्ताक्षर) तहसीलदार तहसील-महवा (दौसा)	गोविन्द हरिसिंह

न्यायालय तहसीलदार महवा जिला दौसा (राज.)

मिसल नम्बर 324/18 तारीख रजू 19/2/18 रिपोर्ट पटवारी हल्का छोड़ड़ा बनाम गोविन्दा पुत्र हरिसिंह जाति राजपुत निवासी रौत तहसील महवा।

अन्तर्गत धारा 91 राज. भू-राजस्व अधिनियम 1956

निर्णय दिनांक 8/3/18

आज यह पत्रावली बमुकाम महवा हमारे समक्ष पेश हुई पटवारी हल्का की रिपोर्ट है कि उक्त श्री गोविन्दा ने ग्राम रौत को भूमि ख.न. 391 रकबा 0.02 किस्म गैरमुमकिन रास्ता फसल रबि / ~~खरीफ~~ संवत 2074 में काश्त कर अतिक्रमण किया है। इस पर अप्रार्थी के विरूद्ध प्रकरण अंतर्गत धारा 91 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 दर्ज किया जाकर नोटिस जारी किया जो बाद तामिल शामिल पत्रावली है। अप्रार्थी उपस्थित आया। ~~उसके द्वारा जबाब प्रस्तुत किया गया जो शामिल पत्रावली किया गया~~ उक्त जबाब में उसके द्वारा अपने बचाव मे कोई खास गवाह / सबूत प्रस्तुत नही किया है। मुताबिक रिपोर्ट पटवारी अतिक्रमण की पुष्टि होती है प्रकरण नियमन योग्य नही है। अतिक्रमी दोषी है।

अतः आदेश है कि अप्रार्थी को अतिक्रमित आराजी ख.न. 391 रकबा 0.02 किस्म गैरमु० रास्ता वाके ग्राम रौत से बेदखल किया जाता है। तथा अप्रार्थी को अतिक्रमित भूमि के वार्षिक लगान का 0.31 का 50 गुणा 16 रू. शस्ति से दण्डित किया जाता है। तथा इस पर खडी फसल काश्त को निलाम किये जाने के आदेश दिये जाते हैं। भू.अभिलेख निरीक्षक व पटवारी को अप्रार्थी की खडी फसल को ~~नष्ट~~ / नीलाम करने तथा भौतिक रूप से अतिक्रमित भूमि से बेदखल करने तथा पालना रिपोर्ट प्रस्तुत करने के आदेश जारी हों। तहसील राजस्व लेखाकार व पटवारी को मांग कायमी वसूली हेतु लिखा जावे। पत्रावली फैसल शुमार हो। नम्बर से कम हो।

निर्णय खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

तहसीलदार
तहसील-महवा (दौसा)

रजिस्टर ग/घ के पेज नं. 63 पर
वर्ष 2017-18 में दर्ज किया गया
की राशि तादादी 16 रू.
की जमा कायमी की गई
दिनांक : 21/3/18
तहसील राजस्व लेखाकार
तहसील-महवा